न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 159/2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. कमलादेवी पत्नी स्व0 पपुराम उर्फ सूरज कुमार 2. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 पपुराम उर्फ सूरज कुमार 3. सम्पत पुत्र स्व0 पपुराम उर्फ सूरज कुमार 4. ममता पुत्री स्व0 पपुराम उर्फ सूरज कुमार जातिगण लौहार निवासीगण बागावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे, श्री कुन्दन मल अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

दिनांक — 23/07/2025

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बागावास, पटवार हल्का धाकड़ी, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुरायता तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता संख्या 371 के खसरा नम्बर 569 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 572 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.4300 हैक्टर कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.5000 हैक्टर की कृषि भूमि वादीगण के पिता/पति स्वर्गीय पपुराम उर्फ सूरज कुमार पुत्र भगवानराम की खातेदारी, कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है तथा वादीगण के पिता/पति पपुराम उर्फ सूरज कुमार का दिनांक 19/10/2017 को स्वर्गवास हो चुका हैं जिनके उतराधिकारी वारिसान वादीगण ही हैं, उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश पपुराम दर्ज हैं, जिसमें भगवानराम जी का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का दर्जसुदा था तथा भगवानराम जी का स्वर्गवास होने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के पिता/पति पपुराम उर्फ सूरज कुमार का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया, वक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के पिता/पति के दस्तावेज अनुसार राजस्व रेकर्ड में सूरज कुमार दर्ज न कर घर में लाड़ प्यार से पुकारा जाने वाला नाम पपुराम गलत दर्ज कर दिया, जबकि वादीगण के पिता/पति सूरज कुमार को घर परिवार, समाज में लाड़ प्यार से पपुराम पुकारते थे, इसलिए राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में भगवानराम के स्वर्गवास पश्चात राजस्व रेकर्ड में सूरज कुमार के स्थान पर पपुराम दर्ज करने में त्रुटि की हैं, जो कि गलत हैं जबकि वादीगण के पिता/पति का वास्तविक व दस्तावेजी नाम सूरज कुमार हैं अर्थात पपुराम व सूरज कुमार दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग—अलग नहीं है जो कि वादीगण के पिता/पति ही हैं तथा वादीगण के पिता/पति के अलावा पपुराम नाम का इनके परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है, अर्थात राजस्व रेकर्ड में दर्ज पपुराम सूरज कुमार ही हैं तथा इस नाम जाति का ग्राम बागावास में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। वादीगण के पिता/पति द्वारा उक्त त्रुटि को

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

अपने जीवनकाल में दुरस्त नहीं करवा सके जबकि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता/पति का ही कब्जा काश्त रहा तथा उनके स्वर्गवास पश्चात वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। वादीगण के पिता/पति का नाम तमाम सरकारी, अर्द्धसरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, परिचय पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार कार्ड, बैंक पासबुक व मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि में सूरज कुमार ही दर्ज है, जिसके अभाव में सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा सूरज कुमार दर्ज नहीं होने से व उक्त दुरस्ती के अभाव में फौतेदगी नामान्तरण भरने से इन्कार कर दिया, इसलिए वादीगण पुनः राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती करवाकर पपुराम के स्थान पर सूरज कुमार दर्ज करवाकर अपने नाम की खातेदारी घोषणा करवाने का कानून्न अधिकारी है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद प्रस्तुत कर माफिक डिक्री वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर फरमाई जावें कि सरहद मौजा ग्राम बागावास तहसील सोजत में स्थित वर्तमान खाता संख्या 371 के खसरा नम्बर 569 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 572 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.4300 हैक्टर कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.5000 हैक्टर की भूमि में राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश सूरज कुमार के स्थान पर पपुराम दर्ज किये गये इन्द्राज को पुनः दुरस्त करवाकर पपुराम के स्थान पर सूरज कुमार पुत्र भगवानराम जाति लौहार निवासी बागावास दर्ज करवाकर खातेदारी घोषणा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब दावा बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर /2025/743 दिनांक 23.05.2025 के जरिये निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार सरहद मौजा बागावास के खाता सं0 371 के ख0नं0 569, 572, 583 कुल रकबा 1.50 है0 पपुराम पुत्र भगवानराम जाति लवार के नाम खातेदारी दर्ज हैं। उक्त खसरों के मौके पर जांच करने पर पाया गया कि कब्जा काश्त सुरज कुमार पुत्र भगवानराम के वारिसो द्वारा किया जा रहा हैं। मौके पर उपस्थित मौत बिरानों व आस–पड़ौस से पूछताछ करने पर पाया कि पपुराम पुत्र भगवानराम व सुरज कुमार पुत्र भगवानराम एक ही व्यक्ति के भिन्न–भिन्न नाम हैं, की रिपोर्ट पेश की।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति ग्राम बागावास के ख.नं. 569, 572, 583 की वर्तमान जमाबंदी, नामा0 सं0 50 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत् 2010–19, 2033–52, 2050–54, 2054–57, 2058–61 2066–69, 2070–73, की प्रमाणित प्रति, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति, मृतक पपुराम उर्फ सूरज कुमार के पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक की पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की फोटो प्रति, वादीगण कमलादेवी, महेन्द्र कुमार, सम्पत, ममता के आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की, सा0मि0 हैं।

अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बागावास तहसील सोजत में स्थित वर्तमान खाता संख्या 371 के खसरा नम्बर 569 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 572 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.4300 हैक्टर कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.5000 हैक्टर की भूमि में राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश सूरज कुमार के स्थान पर पपुराम दर्ज किये गये इन्द्राज को पुनः दुरस्त करवाकर पपुराम के स्थान पर सूरज कुमार पुत्र भगवानराम जाति लौहार निवासी बागावास दर्ज करवाकर खातेदारी घोषणा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद मय शपथ पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादीगण एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति ग्राम बागावास के ख.नं. 569, 572, 583 की वर्तमान जमाबंदी, नामा0 सं0 50 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत् 2010–19, 2033–52, 2050–54, 2054–57, 2058–61, 2066–69, 2070–73, की प्रमाणित प्रति, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति, मृतक पपुराम उर्फ सूरज कुमार के पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक की पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की फोटो प्रति, वादीगण कमलादेवी, महेन्द्र कुमार, सम्पत, ममता के आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश किये हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सोजत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में पपुराम पुत्र भगवानराम व सुरज कुमार पुत्र भगवानराम एक ही व्यक्ति के भिन्न–भिन्न नाम होना अंकित किया हैं। जिससे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के आधार पर वादीगण के पिता/पति का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम पपुराम नहीं होकर सुरज कुमार होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज पपुराम पुत्र भगवानराम के स्थान पर सूरज कुमार पुत्र भगवानराम दुरूस्त किया जाना तथा तहसीलदार सोजत को फौत सूरज कुमार पुत्र भगवानराम के विधिक वारिशान की जांच कर विधिसम्मत नामा0 पारित किया जाने के आदेश दिये जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बागावास तहसील सोजत में स्थित खसरा नम्बर 569, 572, 583 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.5000 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज पपुराम पुत्र भगवानराम के स्थान पर सूरज कुमार पुत्र भगवानराम दुरूस्त किया जावे तथा फौत सूरज कुमार पुत्र भगवानराम के विधिक वारिशान की जांच कर विधिसम्मत नामा0 पारित किया जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 23/07/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)